

# प्रायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, गडरारोड़

स्व प्रकरण सं. अर्न्तगत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

साथल बनाम गैर साथल

राजस्थान सरकार श्री रावत सिंह पुत्र श्री निरंजन

जरिये पटवारी हल्का कौम राजेंद्र निवासी सेलोडिया 50  
218333 का 1 पन्ना

तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

“निर्णय”

दिनांक 13/04/18

पत्रावली आज बमुकाम..... में पेश हुई गैर साथल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का.....ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि गै. सा. ने मौका.....के खसरा नं. 657 रकबा..... बीघा.....में से 0.04 बीघा किस्म..... राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काष्ठ/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर साथल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर साथल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / और गैर साथल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर साथल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन कराने पर गैर साथल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान दर रुपये.....पैसा गुणा जुर्माना राशि रुपये.....पूर्णांक में 50 रुपये.....अक्षरे रु. ....मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर साथल से बसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत्त.....को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर साथल को भैतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 13/4/18 को सरेआम सुनाया गया।

जुर्माना 50/- फसल नि. ....  
कुल योग 50/- रजि. के पृष्ठ सं. 23  
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार गडरारोड़  
जिला-बाड़मेर  
तहसील  
गडरारोड़